भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1795

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं

1795. श्री नलिन सोरेनः

श्री जुगल किशोरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड के दुमका जिले और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाए क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा की खपत के लिए राजसहायता का प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): सरकार, झारखंड के दुमका जिले और जम्मू-कश्मीर सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है, जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): सरकार देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी/प्रोत्साहन का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1795 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु कार्यशील योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फरवरी 2024 से देश भर में इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र के एक करोड़ घरों में 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करना है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर स्थापित करके कुल 15.63 लाख घरों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम): पीएम-कुसुम योजना सरकार द्वारा मार्च, 2019 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और किसानों को उनकी बंजर/परती/कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके सौर उद्यमी बनने का अवसर प्रदान किया जा सके। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं:

   घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र।

   घटक-ख: 14 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।

   घटक-ग: 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

तीनों घटकों को मिलाकर; योजना का उद्देश्य कुल 34,442 करोड़ रु. के कुल केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ 34.8 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है। दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, घटक-क के अंतर्गत 638.99 मेगावाट स्थापित की गई है, घटक-ख के अंतर्गत 8,40,947 स्टैंड-अलोन सौर पंप स्थापित किए गए हैं और घटक-ग के अंतर्गत 5,98,113 ग्रिड कनेक्टड पंप स्थापित किए गए हैं।

3. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गाँवों के लिए): इस योजना का उद्देश्य ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान द्वारा जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में घरों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों को बिजली प्रदान करना है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ केवल वहीं प्रदान की जाती हैं जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। दिनांक 30-06-2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में कुल 2805 परिवार लाभान्वित हुए हैं

4. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

5. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

6. सरकारी उत्पादकों द्वारा, स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

अनुलग्नक-II

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1795 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले दो वर्षों के दौरान योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण

वित्त वर्ष	**स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपये में)**
2023-2024	4834.07
2024-2025	12237.59

अनुलग्नक-III

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1795 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>क) प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना।</td><td>1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है।
3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है। 4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
ख) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना) के तहत सरकारी उत्पादकों द्वारा 12,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ, स्वयं उपयोग के लिए या सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधे या वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से उपयोग के लिए।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
ग) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रेंच- I और II) में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए पीएलआई योजना 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम'।	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा; (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।
घ) 40,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सौर पार्क योजना। इस योजना के तहत, भूमि, सड़क, बिजली निकासी प्रणाली और जल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास सभी वैधानिक मंज़ूरियों/अनुमोदनों के साथ किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद करती है।	(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। (ख) सौर पार्कों की साझा अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
ङ) पीएम-कुसुम योजना विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना, और फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए है। इस योजना से न केवल किसानों को बल्कि राज्यों और डिस्कॉम को भी लाभ होता है।	**घटक-क:** 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। **घटक-ख:** 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। **घटक-ग:** फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>च) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) जिसमें ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश प्रदान करने का प्रावधान है जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।</td><td>
<table>
<tr><th>घटक</th><th>केंद्रीय भाग (100%)</th></tr>
<tr><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td><td>20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

*****